न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 156/23 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/176)

गणेश चौधरी पुत्र छोटेलाल जाति जाट निवासी कारौली ताराचंद तहसील खण्डार हाल मन्दिर का चौक ढिगला जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

अमरा पुत्र शंकर जाति जाट निवासी कारौली ताराचंद तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर आदेश दिनांक 31.10.2013 व तहसीलदार खण्डार वसिलसिले नामान्तरकरण संख्या 494 दिनांक 27.05.1992 वाकै ग्राम कारौली ताराचंद तहसील खण्डार जिला सवाईमाधोपुर।

उपस्थितिः–

1. श्री उमाशंकर शर्मा वकील अपीलान्ट।
2. श्री जगन्नाथ चौधरी वकील रैस्पोडेन्ट।
3. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 27.02.2024

उक्त द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार खण्डार के द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 494 दिनांक 27.05.1992 व अति0 जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 31.10.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार खण्डार द्वारा रैस्पोडेन्ट अमरा के पक्ष में दिनांक 27.05.1992 (30.5.1992) को मृतक शंकर पुत्र तुलस्या की आराजी वाकै ग्राम कारौली ताराचंद की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 494 दिनांक 27.05.1992 रैस्पो अमरा के पक्ष में तस्दीक किया गया है। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट गणेश चौधरी द्वारा एक अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 एल आर एक्ट के तहत तहसीलदार खण्डार द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 494 दिनांक 27.05.1992 के खिलाफ तहत अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष पेश की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण में बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2013 पारित करते हुये अपील अपीलान्ट खारिज कर तहसीलदार खण्डार द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरकरण संख्या 494 दिनांक 27.05.1992 (30.5.1992) यथावत रखा गया और निर्देश दिये गये कि अपीलान्ट गणेश चौधरी अपने आपको मृतक शंकर का विधिक वारिसान घोषित कराने के लिये सक्षम न्यायालय में वाद

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के इस अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2013 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट के तहत द्वितीय अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.10.2013 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 494 दिनांक 27.05.1992 को बिना विधिक प्रकिया अपनाये व क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर तस्दीक किया गया था, जिसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2013 के द्वारा यथावत रखे जाने का आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा दिया गया है, जो कि नियम विरूद्ध है, क्योंकि मृतक शंकर जिसकी विरासत का नामान्तकरण खोला गया है कि वंश वृक्षावली निम्नानुसार है :–

तुलस्या

शंकर — भोला

छोटू (लापता) — अमरा(रैस्पो0)

गणेश (अपीलान्ट)

उक्त वंशावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तुलस्या के दो पुत्र शंकर व भोला थे। शंकर जो कि अपीलान्ट का दादा है, के दो पुत्र छोटू व अमरा रैस्पोडेन्ट थे। अपीलान्ट के पिता छोटू बाल्यकाल में ही साधू बन कर चला गया था तथा उसके बाद उसका कोई अता–पता नही है। अपीलान्ट के पिता छोटू के साधू बन जाने के बाद अपीलान्ट अपने मामा हनुमान प्रसाद व फैलूराम निवासी ढींगला के पास आ गया तथा अपीलान्ट के मामा ने ही अपीलान्ट की परवरिश की है। अपीलान्ट का राशनकार्ड भी ढींगला में गणेश चौधरी पुत्र छोटेलाल के नाम से बना तथा अपीलान्ट खादय सुरक्षा प्राप्त परिवार की श्रेणी में आता है। राशन कार्ड की प्रति अपीलान्ट ने अदालत मातहत में पेश की थी, परन्तु अदालत मातहत ने उक्त दस्तावेज पर अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई गौर नहीं किया। इसी प्रकार अपीलान्ट के पहचान पत्र में भी पिता का नाम छोटूलाल दर्ज है इस पर भी अदालत मातहत ने ध्यान नहीं दिया। अपीलान्ट मृतक शंकर की खातेदारी में स्थित भूमि के आधे हिस्से का वारिस होने के बाबजूद तहसीलदार खण्डार ने सम्पूर्ण भूमि रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश नियम विरूद्ध दिया है। अपीलान्ट ने इस बाबत तहत अदालत में लिखित बहस में सारे तथ्य पेश किये थे, किन्तु तहत अदालत ने कोई ध्यान नहीं दिया गया। अदालत मातहत द्वारा मृतक

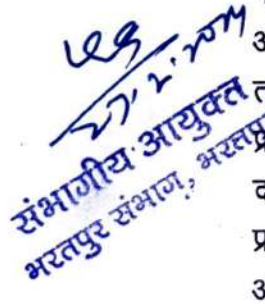

खातेदार के वारिसान के संबंध में किसी प्रकार की कोई जॉच नहीं की वरन् पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा भरे गये नामान्तकरण को ही सही मानकर अपीलाधीन नामान्तकरण दिनांक 30.05.1992 को स्वीकृत कर दिया। जबकि विरासत के नामान्तकरण में 45 दिन तक संबंधित ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसलिए क्षेत्राधिकार के आधार पर भी अपीलाधीन नामान्तकरण खारिज किये जाने योग्य था, परन्तु इस बिन्दु पर भी अपील में अदालत मातहत ने कोई ध्यान नहीं दिया। गिरदावर ने नामान्तरकरण के बाबत दिनांक 30.05.1992 को रिपोर्ट की तथा तहसीलदार ने 30.05.1992 को ही नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जबकि एक माह तक ग्राम पंचायत का अधिकार क्षेत्र था। अतः नामान्तरकरण संख्या 494 अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण निरस्तनीय था, परन्तु अदालत मातहत ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व उनके समक्ष प्रस्तुत हुए दस्तावेज का परीक्षण किया और न ही अपीलाधीन निर्णय में इन दस्तावेज के बारे में कोई अभिमत ही दिया। इसलिए अपीलाधीन निर्णय विधिविरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार खण्डार की ओर से स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 494 दिनांक 30.05.1992 व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2013 को निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के नाम विवादित भूमि में 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस पेश करते हुए तर्क दिया कि अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2013 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण उक्त निर्णय में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। अपीलान्ट की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई अपील में वर्णित तथ्यों को ही अदालत हाजा में वर्णित अपील में दोहराया गया है। जबकि तहसीलदार खण्डार द्वारा नामान्तकरण संख्या 494 दिनांक 30.05.1992 को विरासत के संबंध में पूर्ण जॉच पड़ताल के बाद तस्दीक किया है। उक्त प्रकरण में वास्तविकता यह है कि मृतक शंकर पुत्र तुलस्या की आराजी का आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 494 दिनांक 27.5.1992 (30.5.1992) ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र के आधार पर रैस्पोडेन्ट अमरा पुत्र शंकर के पक्ष में विरासत का तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट ने मीमो आफ अपील में मृतक शंकर के अमरा व छोटूलाल दो पुत्र होना बताया है तथा अपीलान्ट ने स्वयं को छोटू का पुत्र होना बताया है, किन्तु शंकर का पुत्र छोटूलाल होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः वारिस के संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं होने से अपीलान्ट को मृतक शंकर का वारिस नहीं माना जा सकता है। केवल मौखिक कथन से कोई किसी का वारिस साबित नहीं हो सकता है। अपीलान्ट के द्वारा न तो कोई दस्तावेज तहसीलदार खण्डार के कार्यालय में और न ही प्रथम अपीलीय न्यायालय अथवा अदालत हाजा में ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया गया, जिससे अपीलान्ट के कथन की पुष्टि होती हो। किसी भी व्यक्ति को केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर किसी का विधिक वारिस

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

मानकर हक हकूकों को बंटवारा नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट चालाक किस्म का व्यक्ति है। जिसने उक्त आराजी को हड़पने की नियत से अदालत हाजा में अपील प्रस्तुत की है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि गणेश चौधरी बट वृक्ष सजरा मुताबिक इस परिवार का सदस्य नहीं रहा है तो उसके नाम विरासत का नामान्तकरण कैसे खोला जा सकता है। रैस्पोडेन्ट द्वारा अर्चना विधा मन्दिर निवाई जिला टोंक की ओर से जारी टी.सी. क्रम संख्या 13 दिनांक 19.03.2012 की प्रति पेश की गई है। जिसमें अपीलान्ट छोटू का पुत्र नहीं होकर श्री सुल्तान सिंह का पुत्र है तथा माता का नाम भी कमला चौधरी है। अपीलान्ट की जन्म तिथि 01.02.1983 है तथा वह इन्दिरा कॉलोनी निवाई में रहकर पढ़ा है। अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में गलत तथ्यों पर छोटेलाल का पुत्र बनकर अपील पेश की है। माननीय सिविल न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना किसी प्रकार का हक या अधिकार अपीलान्ट को नहीं है। इस आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। वकील रैस्पोडेन्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से वर्ष 1992 में तस्दीक किये गये नामान्तकरण के विरूद्ध प्रथम अपील लगभग 20 वर्ष बाद वर्ष 2012 में पेश की गई है। विलम्ब से अपील पेश करने का कोई कारण भी अपीलान्ट द्वारा नहीं बताया गया था। अतः मियाद संबंधी बिन्दु पर भी अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट की ओर से दिनांक 27.05.1992 के आदेश के विरूद्ध अपील पेश की गई है। जबकि दिनांक 27.05.1992 का कोई आदेश नहीं है। इस आधार पर भी अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 31.10.2013 में यह स्पष्ट निर्धारण किया है कि अपीलार्थी अपने आप को मृतक का विधिक वारिस बताता है तो वह सक्षम न्यायालय में विधिक वारिसान घोषित कराने के लिए वाद पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र में उभयपक्षों की साक्ष्य के बाद यह विनिश्चय किया जा सकता है कि अपीलान्ट मृतक का विधिक वारिस है या नहीं। चूंकि नामान्तकरण संबंधी कार्यवाही एक संक्षिप्त वित्तीय कार्यवाही है। जिसमें किसी भी पक्षकार के हक व अधिकार अर्जित नहीं होते हैं। नामान्तकरण की कार्यवाही का मूलभूत उद्देश्य वित्तिय प्रयोजनार्थ है। हक व अधिकारों की घोषणा सक्षम न्यायालय में वाद पत्र के अन्तर्गत ही करवाई जा सकती है, क्योंकि वारिसान की घोषणा का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। दूसरी ओर विवादित भूमि पर रैस्पोडेन्ट अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलार्थी कभी भी ग्राम कारोली ताराचंद तहसील खण्डार में नहीं रहा। अपीलान्ट छोटू का पुत्र नहीं होकर सुल्तान का पुत्र है तथा निवाई में पढ़ाई करते हुए वहीं रहा है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अतिरिक्त जिला कलटर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.10.2013 को यथावत रखा जावे।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि मियाद के संबंध में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पूर्व में ही निर्णय किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में मियाद के बिन्दु को अदालत हाजा के समक्ष नहीं उठाया जा सकता। रैस्पोडेन्ट की ओर

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर
संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

से अपीलान्ट के द्वारा मीमो आफ अपील में वर्णित वंश वृक्षावली से इनकार नहीं किया है। स्वयं अपीलान्ट ने अपने मीमो आफ अपील में स्पष्ट किया है कि अपीलान्ट के पिता छोटू के लापता हो जाने के कारण वह अपने मामा के घर रहा है, परन्तु इससे अपीलान्ट के हक–हकूक पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ता है। तहसीलदार द्वारा विरासत के नामान्तकरण में एक पुत्र के नाम विरासत का नामान्तकरण खोल दिया गया व दूसरे पुत्र को बिना किसी कारण के वंचित कर दिया गया, जो कि सीधा–सीधा अपीलान्ट के हितों पर कुठाराघात है। उक्त प्रकरण यदि जॉच हेतु पुनः भिजवाया जाता है तो अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत वंश वृक्षावली के तथ्यों की जॉच में पुष्टि हो जाएगी। रैस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को मृतक शंकर का पौत्र होने के बारे में इनकार नहीं किया गया है। जहां तक सिविल न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लिए जाने का प्रश्न है तो विरासत के प्रकरण में पुत्र को किसी तरह का कोई उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.10.2013 निरस्त किया जावे तथा प्रकरण पुनः जॉच हेतु तहसीलदार खण्डार को प्रेषित किया जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से तहसीलदार खण्डार के द्वारा स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 494 दिनांक 30.05.1992 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश की गई थी। इस अपील में उल्लेख किया गया था कि तहसीलदार द्वारा विरासत के नामान्तकरण की विधिवत जॉच नहीं की गई है। रैस्पोडेन्ट की ओर से अदालत मातहत में सीपीसी की धारा 151 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र जिसमें अपीलान्ट द्वारा बल्दीयत बदलकर जमीन हड़पने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई अपील के संबंध में अर्चना विधा मन्दिर निवाई टोंक की ओर से जारी पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा (टी.सी.) दिनांक 19.03.2012 की प्रति प्रस्तुत कर अपीलान्ट के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराने बाबत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र का अपीलान्ट की ओर से दिनांक 13.09.2012 को अदालत मातहत में इस आशय का शपथ पत्र पेश किया गया कि अपीलान्ट स्वयं छोटेलाल का पुत्र है एवं छोटेलाल की पैतृक सम्पत्ति के संबंध में अपील प्रस्तुत की है, जो पूरी तरह असत्य है। शपथ पत्र के साथ ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रति भी प्रस्तुत की गई। इसके बाद फार्म नंबर 3 के साथ वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि की प्रति प्रस्तुत की गई। जिसमें अपीलान्ट के पिता का नाम छोटेलाल दर्ज है। अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.03.2013 में अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का उल्लेख करते हुए यह माना है कि अपीलार्थी ने मीमो आफ अपील में मृतक शंकर के अमरा व छोटूलाल दो पुत्र होना बताया है तथा अपीलार्थी ने स्वयं को छोटू का पुत्र होना बताया है, परन्तु शंकर का पुत्र छोटूलाल होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। सुदृढ प्रमाण नहीं होने के कारण अपीलार्थी को मृतक शंकर का वारिस माने जाने का कोई आधार नहीं होना मानकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए नामान्तकरण

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

संख्या 494 दिनांक 27.05.1992 को यथावत रखा है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत ने स्वयं को छोटेलाल का पुत्र होने के संबंध में विभिन्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये थे तथा रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत टी.सी. के संबंध में भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा अपीलान्ट की ओर से मीमो आफ अपील में वर्णित सजरा गलत होने का कोई रिकार्ड अदालत मातहत की पत्रावली में नहीं होने के बाबजूद केवल रैस्पोडेन्ट को मृतक शंकर का वारिस माना जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा अपीलान्ट की ओर से अदालत हाजा में सीपीसी के आदेश 41 नियम 27 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 30.01.2018 को प्रस्तुत खण्डार विधानसभा क्षेत्र की 1983 की निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रतिलिपि के अनुसार अमरा व छोट्या शंकर के पुत्र हैं। अपीलान्ट द्वारा स्वयं को छोट्या का पुत्र होना बताया गया है। इसके अलावा तहसीलदार द्वारा भी पटवारी हल्का की ओर से दिनांक 27.05.1992 को ग्राम सेवक की ओर से जारी प्रमाण पत्र दिनांक 14.05.1992 के आधार पर भरे गये विरासत के नामान्तकरण संख्या 494 की कोई जॉच नहीं कर उक्त प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया है, जो कि उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पटवारी द्वारा नामान्तकरण भरने के 45 दिन तक विरासत के नामान्तकरण के संबंध में निर्णय करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है। इस विधिक तथ्य के बारे में भी अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया गया। इसलिए तहसीलदार खण्डार की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 494 दिनांक 30.05.1992 व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2013 को उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार खण्डार की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 494 दिनांक 30.05.1992 व अतिरिक्त जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.10.2013 निरस्त किया जाता है, चूंकि उक्त प्रकरण विरासत का नामान्तकरण भरे जाने से संबंधित है तथा विवादग्रस्त हो गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार खण्डार को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त व समुचित अवसर देते हुए उभयपक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का विधिवत परीक्षण कर मृतक शंकर के वारिसान के संबंध में पुनः जॉच कर नये सिरे से नामान्तकरण खोले जाने की कार्यवाही करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल) वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर